न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 20.1.2020

मि.न.115/2019

सरकार बनाम छोटूलाल
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चतुर्भज ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30 है0 किस्म गै0मु0 जोहड मेंसे 0.50 है0पर छोटूलालपुत्र भूरा राम, सुल्तान पुत्र सगराराम,लीलाराम , ज्वाहरीलाल पुत्र ओंकार जाति गुर्जर निवासी ढाणी भरगढ की तहसील कोटपूतली ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल लीलाराम स्वंय उपस्थित आये जबाब पेश नहीं किया तथा छोटेलाल की तरफ से अधिवक्ता जोगेन्द्र बंसल उपस्थित आये परन्तु जबाब पेश नहीं किया । गैर सायल सुल्तान पुत्र सगराराम व ज्वाहरीलाल पुत्र ओंकार उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पटवारी हल्का से बयान लिए गये जो संलग्न पत्रावली किये गये। पटवारी हल्का ने अपने बयान में दर्ज करवाया है कि गैर सायलान ने खसरा नंबर 30/0.65 है0 किस्म गै0मु0 जोहड वाके ग्राम गोपीपुरा पर संवत 2075 में भी गेहूँ व सरसों की फसल कास्त कर अतिक्रमण कर लिया था जिसको भू– अभिलेख निरीक्षक की मौजूदगी में दिनांक 16.4.19 को मौके पर खडी फसल को निलाम किया जाकर गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया था। परन्तु गैर सायलान ने पुनः संवत 2076 में फसल कास्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट तथा पटवारी हल्का बयानों पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है जिसके अनुसार गैर सायलान का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है । तथा गैर सायल आदतन अतिक्रमि की श्रेणी में आता है।जबकि खसरा नंबर 30 वाके ग्राम गोपीपुरा की किस्म गै0 मु0 जोहड दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर जोहड के स्वरूप को क्षति पहूचाने का है.जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र

तहसीलदार
कोटपूतली (जय)

Scanned by CamScanner

की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं। अतः अतिक्रमियो के विरूद्ध क
किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की ग
अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल छोटूलालपुत्र भूरा राम, सुल्तान पुत्र सगराराम,लीलाराम , ज्वाहरीलाल पुत्र ओंकार जाति गुर्जर निवासी ढाणी भरगढ की तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30/0.65है0 ,किस्म गै0मु0 जोहड मे से 0.50 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बोई गई फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।साथ ही गैर सायलान का पाश्चातवृति अतिक्रमि होने के कारण 3माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है व नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 1रू. का पचास गुणा 50रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे।संबन्धित पुलिस थाना को तहरीर जारी हो। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 20.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2020.02.14 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: